न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः—295/2018 (2018/00295)225/भिनाय

1. राधाकिशन दत्तक पुत्र पॉचू
2. सुखदेव पुत्र घीसा
   दोनो जाति बैरवा निवासी ग्राम रेण तहसील भिनाय जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय।
2. धर्मादा कमेटी प्याऊ मवेशियान प्रबन्धक हरदेव पुत्र किशना जाति जाट निवासी ग्राम रेण तहसील भिनाय जिला अजमेर ।
3. छाऊ पुत्र घीसा
4. छगनी पुत्री घीसा
5. कैलाशी पुत्री घीसा
6. कुनणी पत्नि स्व.देवकरण
7. जमना पुत्र देवकरण
8. गोपाल पुत्र देवकरण
9. ललिता पुत्री देवकरण
   समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम रेण तहसील भिनाय जिला अजमेर।

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय दिनांक 01.05.2018, वाद संख्या 2/2017.

उपस्थितः—

1. श्री समीर अहमद खान/छीतर मल टैपण एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री सलमान खान एड़वोकेट रेस्पो.संख्या 03 से 09 की ओर से।
3. राजकीय अभिभाषक श्री धर्मवीर चौधरी एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बावजूद सूचना के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 25.3.2019

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के निर्णय दिनांक 01.05.2018, वाद संख्या 02/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष अन्तर्गत

धारा 175 राज.काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाकै ग्राम रेण तहसील भिनाय के हाल आराजी खसरा नम्बर 711 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 713 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 714 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 716 रकबा 0.09 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.12 हैक्टर राधाकिशन दत्तक पुत्र पॉचू, सुखदेव पुत्र घीसा, छाऊ, मगनी, कैलाशी पुत्रीयॉ घीसा, कुनणी पत्नि देवकरण, जमना, गोपाल पुत्रान देवकरण, ललिता पुत्री देवकरण जाति बैरवा की खातेदारी में दर्ज हैं। खतौनी जमाबंदी सन् फसली 1359 वाकै ग्राम रेण में खाता संख्या 98 में खसरा नम्बर 467 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं खसरा नम्बर 468 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा 10 बिस्वांसी कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा पॉचू वल्द लाखा व घीसा वल्द छोगा जाति चमार के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जमाबंदी चौसाला सम्वत 2016 के अनुसार पॉचू वल्द लाखा, घीसा वल्द छोगा जाति चमार सा.रेण व उप कृषक समस्त ग्राम मौजा रेण ट्रस्ट शिकमी काश्त 5 बीघा 3 बिस्वा साकिन दर्ज रिकार्ड है। नकल चौसाला जमाबंदी सम्वत 2016 से 2019 तक खाता संख्या 98 मे अंकित नोट इस प्रकार है कि ''खाता संख्या 97 में खसरा नम्बर 467 व 468 कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा धर्मादा कमेटी प्याऊ मवेशियान प्रबन्धक हरदेव वल्द किशना कौम जाट साकिन देह रेण के नाम फार्म नम्बर 37 दिनांक 06.10.1963 से स्वीकार हुआ''। इसी प्रकार नकल चौसाला जमाबंदी सम्वत 2020 से 2023 के खाता संख्या 97 में खसरा नम्बर 467 व 468 कुल 6 बीघा 18 बिस्वा धर्मादा कमेटी प्याऊ मवेशियान प्रबन्धक हरदेव वल्द किशना कौम जाट साकिन देह रेण दर्ज रिकार्ड हैं तथा नकल चौसाला जमाबंदी सम्वत 2020 से 2023 के खाता संख्या 97 में अंकित नोट इस प्रकार है कि '' खाता पॉचू पुत्र लाखा व घीसा पुत्र छोगा जाति चमार से जरिये इन्तकाल 37 से पंचायत द्वारा तस्दीक हुआ जो गलत आर0टी0एक्ट के अनुसार हैं, इन्द्राज पुराना सही समझा जावें ।'' अप्रार्थी संख्या 01 अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा अप्रार्थी संख्या 10 सामान्य वर्ग का सदस्य है तथा इस प्रकार हस्तांतरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के अन्तर्गत कार्यवाही योग्य है इसलिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार जाकर हाल खसरा नम्बर 711, 713, 714 एवं 716 की भूमि को सिवायचक घोषित किया जावें तथा प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को भूमि का रहन, बय एवं हस्तांतरण नहीं करने हेतु पाबंद किया जावें। उपरोक्त आशय का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.05.2017 को प्रस्तुत किया गया, जिसके नोटिस प्रार्थी/अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण को जारी किये गये तथा पत्रावली वास्ते जवाब नियत रही परन्तु दिनांक 22.03.2018 को अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्टस का जवाब बंद करते हुए एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये तथा आगामी पेशी दिनांक 05.04.2018 नियत कर दी गयी तथा दिनांक 05.02.2018 से 11.04.2018 एवं 19.04.2018 अंकित की गयी तथा दिनांक 19.04.2018 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत शिविर अटल सेवा केन्द्र बुबकिया दिनांक 01.05.2018 को पेश होने हेतु नियत किया गया तथा उसी दिनांक प्रकरण का निस्तारण करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर कब्जा सरकारी तहवील में लेने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.05.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये, रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 09 की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात अभिभाषकगण उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

5. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उपरोक्त वर्णित आराजी प्रारम्भ से अंत तक अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस संख्या 3 से 9 की आराजी है जो सन् फसली 1359 में खसरा नम्बर 467 व 468 पॉचू बल्द लाखा व घीसा वल्द छोगा के नाम खतौनी जमाबंदी में दर्ज हैं तथा उसके पश्चात संवत् 2016 से 2019 में बिना किसी कारण के एवं बिना किसी आदेश के एवं बिना किसी हस्तातंरण के उपरोक्त भूमि को धर्मादा

कमेटी प्याऊ मवेशियान प्रबन्धक हरदेव पुत्र किशना कौम जाट के नाम अंकित कर दी गयी, जिसका कोई आधार नहीं था । इसके बाबत् प्राथीगण/अपीलांटस के पूर्वजों द्वारा उसे दुरूस्त करवाया गया। जो जमाबंदी सम्वत 2020 से 2023 में ही कॉलम संख्या 16 में यह अंकित किया गया है कि खाता पॉचू पुत्र लाखा व घीसा पुत्र छोगा चमार से जरिये इन्तकाल 37 से पंचायत द्वारा तस्दीक हुआ, जो गलत आर0टी0ए के अनुसार है इन्द्राज पुराना सही समझा जावें अर्थात इन्द्राज को ही सही माने जाने का अंकन कर दिया तथा उसके पश्चात के वर्षो में जमाबंदी में पॉचू पुत्र लाखा व घीसा पुत्र छोगा जाति चमार का नाम दर्ज किया गया है जो आगे की जमाबंदियों में बदस्तूर जारी हैं अर्थात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस प्रकार का एक भी दस्तावेज नही है जिसके आधार पर उपरोक्त भूमि की कार्यवाही धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत की जा सकती हो। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से उपरोक्त दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत नहीं होने एवं तनकीयात कायम नहीं होने एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने के कारण उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण प्रार्थना पत्र मानकर ही किया है इसलिए न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गयी है। यदि किसी भी रूप में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को डिक्री के रूप में माना जावें तो उपरोक्त अपील को धारा 223 राज.काश्तकारी अधि. में परिवर्तित किये जाने का अपीलांट निवेदन किया । प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी परन्तु दिनांक 10.09.2018 को जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने बिना कोई विलम्ब किये यह अपील प्रस्तुत करवायी है। जिसमें जानबूझकर किसी प्रकार की कोई देरी नहीं की गयी है अपितु जो देरी हुई है वह सद्भाविक है जिसे क्षमा किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अपीलांट का प्रकरण मेरिटोरियस प्रकरण है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी सद्भाविक है जो जानकारी के अभाव में हुई है जिसे क्षमा करते हुए अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाने का निवेदन किया । दौराने बहस यह भी कथन किया कि लगभग 53 वर्ष पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा धारा 175 के तहत भूमि को सिवायचक किये जाने की कार्यवाही की गई है जो असाधारण विलंब की श्रेणी में आता है तथा प्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है । आगे यह भी कथन किया कि प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत में किया गया है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार का राजीनामा या सहमती नहीं थी । अतः लोक अदालत के क्षैत्राधिकार में यह प्रकरण नहीं आता था इसके बावजूद गलत रूप से प्रकरण का अविधिक तौर पर निस्तारण किया गया है । यह भी कथन किया कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा एकपक्षीय निर्णय किया गया है । आगे यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार द्वारा पूर्णतः गलत आधार पर धारा 175 आर0टी0ए0 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हस्तातंरण विलेख निष्पादित नहीं किया गया है । मात्र गलत प्रविष्ठि जिसका रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं है के आधार पर हस्तातंरण मानते हुए धारा 42–बी का उल्लंघन कारित करना मानते हुए अधी0न्याया0 ने जो निर्णय किया है वह प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है । अपीलांट के पूर्वजों के नाम का खाता बिना सक्षम आदेश के कमेटी धर्मादा प्याउ के नाम पंचायत द्वारा कर दिया गया तथा आगे की जमाबंदी में उसे दुरूस्त भी कर दिया गया इसके बावजूद इस तथ्य की अनदेखी करते हुए अधी0न्याया0 ने अविधिक निर्णय पारित किया है । अंत में अभिभाषक अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय को खारिज करने तथा दोषी अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही करने का भी निवेदन किया ।

6. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के विपरीत रिकार्ड हस्तांतरण, अवैध हस्तातंरण होने से उक्त भूमि को राजकीय भूमि दर्ज की है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है एवं विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोग की होकर गावांई उपयोग में आती है। उपरोक्त भूमि में से खसरा नम्बर 716 में राजकीय विद्यालय बना हुआ है।

अधी0न्याया0 द्वारा 175 के तहत की गई कार्यवाही विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे ।

7. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 9 ने अपीलांटस की बहस का समर्थन करते हुए अधी0न्याया0 के निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

8. प्रकरण में सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अभिभाषक उभयपक्षकरान द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में हम प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित समझते है । वैसे भी मियाद बिन्दू पर किसी भी प्रकरण को तकनीकी आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार किया जाता है तथा अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्षकारान विद्वान अभिभाषकगण पर ध्यानपूर्वक मनन किया। अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वाकै ग्राम रेण तहसील भिनाय के हाल आराजी खसरा नम्बर 711 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 713 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 714 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 716 रकबा 0.09 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.12 हैक्टर राधाकिशन दत्तक पुत्र पॉचू, सुखदेव पुत्र घीसा, छाऊ, मगनी, कैलाशी पुत्रीयॉ घीसा, कुनणी पत्नि देवकरण, जमना, गोपाल पुत्रान देवकरण, ललिता पुत्री देवकरण जाति बैरवा की खातेदारी में दर्ज हैं। खतौनी जमाबंदी सन् फसली 1359 वाकै ग्राम रेण में खाता संख्या 98 में खसरा नम्बर 467 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं खसरा नम्बर 468 रकबा 5 बीघा 09 बिस्वा 10 बिस्वांसी कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीध 18 बिस्वा पॉचू वल्द लाखा व घीसा वल्द छोगा जाति चमार के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जमाबंदी चौसाला सम्वत 2016 कि अनुसार पॉचू वल्द लाखा, घीसा वल्द छोगा जाति चमार सा.रेण व उप कृषक समस्त ग्राम मौजा रेण ट्रस्ट शिकमी काश्त 5 बीघा 3 बिस्वा साकिन दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली के साथ नकल चौसाला जमाबंदी सम्वत 2016 से 2019 तक खाता संख्या 98 मे अंकित नोट इस प्रकार है कि खाता संख्या 97 में खसरा नम्बर 467 व 468 कुल किता कुल रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा धर्मादा कमेटी प्याऊ मवेशियान प्रबन्धक हरदेव वल्द किशना कौम जाट साकिन देह रेण के नाम फार्म नम्बर 37 दिनांक 06.10.1963 से स्वीकार हुआ। पत्रावली में सलंग्न नकल चौसाला जमाबंदी सम्वत 2020 से 2023 के खाता संख्या 97 में खसरा नम्बर 467 व 468 कुल 6 बीघा 18 बिस्वा धर्मादा कमेटी प्याऊ मवेशियान प्रबन्धक हरदेव वल्द किशना कौम जाट साकिन देह रेण दर्ज रिकार्ड हैं तथा नकल चौसाला जमाबंदी सम्वत 2020 से 2023 के खाता संख्या 97 में अंकित नोट इस प्रकार है कि खाता पॉचू पुत्र लाखा व घीसा पुत्र छोगा जाति चमार से जरिये इन्तकाल 37 से पंचायत द्वारा तस्दीक हुआ जो गलत आर0टी0एक्ट के अनुसार हैं इन्द्राज पुराना सही समझा जावें । इसके अतिरिक्त अपीलांटस द्वारा यह भी कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि जब एक बार अपीलांट की ओर से वाद के साथ प्रस्तुंत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर दिनांक 2.08.2016 को आदेश पारित करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस बाबत् पाबंद किया कि वह उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 711, 713, 714 पर राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखे परन्तु उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 तहसीलदार द्वारा उसी न्यायालय में उसी भूमि के संबंध में धारा 175 राज.काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही वादी के वाद को निष्प्रभावी घोषित करवाने हेतु की तथा वाद को खारिज भी करवा दिया । इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। जवाब में रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता का कथन रहा है कि विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोग की होकर गावाई

उपयोग में आ रही है। उपरोक्त भूमि में से खसरा नम्बर 716 में राजकीय विद्यालय भी बना हुआ है। इसलिए अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

10. पत्रावली पर उपलबध रिकार्ड से जाहिर है कि अपीलाधीन भूमि सन् फसली 1359 में खसरा नम्बर 467 व 468 पॉचू वल्द लाखा व घीसा वल्द छोगा के नाम खतौनी जमाबंदी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । रिकार्ड अवलोकन से यह भी जाहिर है कि जमाबंदी सम्वत 2016 से 2019 में बिना किसी आधार एवं बिना किसी सक्षम आदेश के एवं बिना बैचान/हस्तांतरण के उपरोक्त भूमि को धर्मादा कमेटी प्याऊ कमेटी मवेशियान प्रबन्धक हरदेव वल्द किशना कौम जाट के नाम अंकित कर दी गई है। इसके पश्चात् चौसाला जमाबंदी सम्वत 2020 से 2023 के खाता संख्या 97 में अंकित नोट इस प्रकार है कि खाता पॉचू पुत्र लाखा व घीसा पुत्र छोगा जाति चमार से जरिये इन्तकाल 37 पंचायत द्वारा तस्दीक हुआ जो गलत आर0टी0एक्ट के अनुसार हैं इन्द्राज पुराना सही समझा जावें का नोट अंकित है । इस नामांतकरण के संबंध में तहसीलदार, भिनाय द्वारा नकल चाहने पर नकल आवेदन पत्र की पुस्त पर यह अंकित किया है कि'' कार्यालय में पूर्ण तलाशी के बावजूद नामांतकरण संख्या 37 की नकल उपलब्ध नहीं है । अतः नकल दिया जाना संभव नहीं है ।'' तद्नुसार नकल आवेदनकर्ता को सूचित भी किया गया । इससे भी नामांतकरण संख्या 37 संदेहास्पद प्रतीत होता है । इन दोनों जमाबंदियों की प्रविष्ठियों से यह जाहिर है कि जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 में फॉर्म संख्या 37 दिनांक 6.10.1963 को कॉलम संख्या 16 में की गई प्रविष्ठि का कोई आधार नहीं था तथा न ही सक्षम प्राधिकारी का कोई आदेश ही विद्यमान था । अतः इसे बिना किसी आधार की प्रविष्ठि ही मानी जावेगी । इसके गलत होने की ताईद जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 में अंकित नोट से भी होती है जिसमें आई0एल0आर0 ने दिनांक 24.9.1964 को यह अंकित किया है कि '' पंचायत द्वारा इंतकाल नंबर 37 जो तस्दीक किया है वह आर0टी0ए0 के अनुसार गलत है तथा पुराना इंद्राज ही सही समझा जावे ।'' अर्थात् अपीलांटस के नाम जो खातेदारी है वह सही है तथा इसके आधार पर राजस्व अधिकारियों द्वारा धर्मादा कमेटी का नाम हटाकर पुनः अपीलांटस के नाम रिकार्ड दुरूस्त भी कर दिया गया तथा वर्तमान में अपीलांटस का नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में दर्ज है । जब नामांतकरण संख्या 37 को गलत मान लिया गया तो उसके आधार पर तहसीलदार द्वारा धारा 175 के तहत आवेदन करना तथ्यों के प्रतिकूल एवं न्याय के विरूद्ध ही माना जायेगा। जब अपीलांट द्वारा कोई हस्तातंरण विलेख निष्पादित ही नहीं किया गया तो अवैध बैचान का प्रश्न ही नहीं उठता है । तहसीलदार द्वारा रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया गया तथा जिस प्रविष्ठि का कोई आधार नहीं है तथा जिसे पुनः दुरूस्त भी कर दिया गया उसके बावजूद रिकार्डेड हस्तातंरण मानकर आया धारा 42 का उल्लंघन मानते हुए धारा 175 आर0टी0ए0 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित किया जाना कतई अनुचित था । तहसीलदार द्वारा इस बाबत् रिकार्ड का न केवल परीक्षण किया वरन् रिकार्ड का गलत निर्वचन भी किया । नामांतकरण संख्या 37 के बाबत् तहसीलदार स्वंय अपने कार्यालय में रिकार्ड होने से इंकार करते है तथा बिना परीक्षण किये आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया इसे न्यायोचित नहीं माना जा सकता है । तहसीलदार के समक्ष धारा 42 के उल्लंघन बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं थे इसके बावजूद गलत रूप से धारा 175 की कार्यवाही संस्थित कर दी गई । यही नहीं रिकार्ड अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि इसी आराजी के बाबत् अधी0न्याया0 में विचाराधीन वाद में तहसीलदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है तथा उसके प्रभावी रहते हुए धारा 175 आर0टी0ए0 का यह प्रार्थना पत्र उसी न्यायालय में प्रस्तुत किया है । जब अधी0न्याया0 में अपीलांट का वाद विचाराधीन था तथा जिसमें स्वंय तहसीलदार भी पक्षकार है तो यह आवेदन अलग से प्रस्तुत करने का कोई विधिसम्मत् आधार नहीं था।

11. अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि उनके द्वारा भी उपलब्ध रिकार्ड का सही रूप से परीक्षण किये बिना तथा धारा 42 राज0काश्त0अधि0 के उल्लंघन बाबत् पूर्ण

स्थिति को स्पष्ट किये बिना निर्णय पारित किया जाना जाहिर होता है । धारा 42–बी राज0काश्त0अधि0 के तहत यदि अनुसूचित जाति का कोई सदस्य अपनी भूमि इस धारा के प्रावधानों के प्रतिकूल विक्रय अथवा हस्तातंरित करता है तो ऐसी संविदा भारतीय संविदा अधि0 की धारा 25 के अनुसार शून्य एवं प्रभावहीन है । प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांटस द्वारा आराजी का विक्रय अथवा अंतरण उनके द्वारा किया गया हो इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है । प्रकरण का अवलोकन करने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अधी0न्याया0 ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सरसरी तौर पर बिना परीक्षण किये तथा बिना न्यायिक विवेचन किये स्वीकार किया है जो कि कानूनन उचित नहीं ठहराया जा सकता है । राज0काश्त0अधि0 की धारा 175 के तहत तभी कार्यवाही की जा सकती है जब धारा 42 आर0टी0ए0 का उल्लंघन किया गया हो । हस्तगत प्रकरण में धारा 42 के उल्लंघन बाबत् स्थिति दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट नहीं की गई है । कानून का मुख्य ध्यैय समाज के कमजोर वर्गो की रक्षा करना है न कि उन्हें उनकी भूमि के खातेदारी अधिकारों से वंचित करना । प्रश्नगत प्रकरण में उपलब्ध संपूर्ण रिकार्ड से कहीं भी यह जाहिर नहीं होता है कि अपीलांटस जो कि अनुसूचित जाति के खातेदार है उनके द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को आराजी का अंतरण/बैचान किया गया हो । इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । इस आधार पर धारा 42 राज0काश्त0अधि0 का उल्लंघन का कोई मामला नहीं बनता है तथा जब धारा 42 का उल्लंघन ही प्रमाणित नहीं होता है तो धारा 175 आर0टी0ए0 के तहत कार्यवाही किया जाना विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल ही माना जायेगा । अधी0न्याया0 को यह ध्यान में रखा जाना चाहिये था कि जब रिकार्डेड खातेदार की भूमि धर्मादा कमेटी के नाम बिना किसी सक्षम आदेश के कर दी गई है तथा इसे रिकार्ड में गलत भी मान लिया गया है तथा भूमि राजस्व अधिकारियों द्वारा पुनः अपीलांटस के नाम दर्ज कर दी गई है तो इसके आधार पर किस प्रकार अवैध अंतरण/बैचान माना जा सकता है। आराजी के अंतरण/बैचान बाबत् कोई दस्तावेज ही नहीं है तो अवैध अंतरण या विक्रय का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस आधार पर जो धारा 175 आर0टी0ए0 के तहत अधी0न्याया0 द्वारा कार्यवाही की गई है उसे विधिक दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता है ।

12. रेस्पो0 संख्या 1 का यह कथन कि भूमि सार्वजनिक उपयोग में आ रही है इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है किन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में खसरा नंबर 716 रकबा 0.09 है0 भूमि पर गै0मु0 स्कूल निर्मित्त होने का अंकन किया गया है । इस संबंध में अपीलांटस ने भी यह सहमति व्यक्त की कि शिक्षा के लिये सार्वजनिक हित में जितने क्षैत्र में स्कूल निर्मित्त है उस भूमि को अपनी खातेदारी में से छोड़ने हेतु सहमत है । न्यायालय भी अपीलांटस की इस स्वीकारोक्ति से सहमत होते हुए सार्वजनिक हित में विद्यालय का संचालन जारी रखना उचित समझता है ।

13. रिकार्ड अवलोकन से यह भी जाहिर है कि रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध लगभग 53 वर्ष पश्चात् धारा 175 के तहत कार्यवाही संस्थित की गई है जिसका कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है । विद्वान अभिभाषक अपीलांटस का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है कि हस्तगत प्रकरण लोक अदालत के क्षैत्राधिकार का नहीं था इसमें पक्षकारों में किसी प्रकार की सहमति या राजीनामा नहीं था । न्यायालय भी अपीलांटस के कथन से सहमत है तथा हस्तगत प्रकरण के तथ्य लोक अदालत की परिधि में नहीं होने के कारण लोक अदालत में निर्णय अपेक्षित नहीं था ।

14. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा विवादित भूमि के संबंध में बिना किसी आधार एवं तथ्यों के धारा 175 की कार्यवाही की जाकर विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है जिसे उक्तानुसार विधिक त्रुटियों के प्रकाश में विधिसम्मत् नहीं होने के कारण यथावत् नहीं रखा जा सकता है । इस कारण अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य एवं अधी0न्याया0 का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य पाया जाता है ।

15. अस्तु अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, भिनाय) द्वारा प्रकरण संख्या 2/2017 में पारित आदेश दिनांक 01.05.2018 को खसरा नम्बर 716 रकबा 0.09 है. जिस पर गै.मु.स्कूल निर्मित्त है, को छोड़कर शेष आदेश निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार, भिनाय को आदेशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार अपीलांटस के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने की कार्यवाही करे । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

11. आदेश आज दिनाक 25.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर